

10 2023 वकील के पत्रिका वरुस पत्रिका के अस्थित।  
वकील वकील के वरुस सुनने उग्रय पक्ष की सुनना  
पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 25/10/2023 को  
पेश है।

*[Signature]*  
S.O.O.

25/10/2023

पत्रावली पेश हुई P.O सादल शीरींग  
... से  
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक  
08/11/2023 को पेश की जावे

*[Signature]*

08/11/2023

पत्रावली पेश हुई... अभिभाषक संघ द्वारा  
... से  
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक  
22/11/23 को पेश की जावे

*[Signature]*

22/11/2023

पत्रावली पेश हुई... अभिभाषक संघ द्वारा  
... से  
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक  
12/12/23 को पेश की जावे

*[Signature]*

12/12/2023

पत्रावली पेश हुई। उग्रय पक्षकारान् उपस्थित।  
पत्रावली में वरुस सुने एक माह से अधिक समय  
होने से पुनः वरुस सुनी गई। पत्रावली वास्ते  
आदेश दिनांक 19/12/2023 को पेश है।

S.O.O.

19/12/2023

पत्रावली पेश हुई उग्रय पक्षकारान् उपस्थित। उग्रय  
पक्ष की वरुस पर मजबूत किया गया। पत्रावली में  
शमिल दस्तावेज व कदम-पत्र के विषय में  
गहनता से मजबूत किया गया। वकील वकील द्वारा  
वरुस को नकार दी गई। वकील वकील द्वारा

Form No. III

App-  
crim.

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

श्रीमाला

बनाम

श्रीमधारी तल्लीलवार

वाद-पत्र

नं०

05/2001

सन्

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इसमें  
जारी हुए

वदीका वाद-पत्र धारा-88 का रबीकार को  
न्यायालय में वादीका वाद-पत्र रबीकार को  
न्यायालय में रबीकार किया जाकर निर्णय  
इससे किया जाकर सुले न्यायालय की  
इसकाव में सुनाया गया। पत्रावली जैसल सुमार  
डिप्टर रफ रजिस्टर के कम की जाकर शामिल  
करार है।

उपखण्ड अधिकारी  
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

स्थिता रबीकार  
को सुनाया।  
को सुनाया।  
को सुनाया।